राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2345/2024

इन्दूबाला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2024
आदेश की दिनांक : 23.07.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री डॉ0 देवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.03.1997 द्वारा पीटीआई ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया और आदेश दिनांक 20.03.1997 (अनुलग्नक–1) की अनुपालना में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 04.04.1997 को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोनेडा, पंचायत समिति, कोटपूतली, जयपुर में उपरोक्त पद पर कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने फिर से अपने आदेश दिनांक 25.06.1997 द्वारा अपीलकर्ता और अन्य समान उम्मीदवारों को पुनः नियुक्त कर दिया और उसे उसी स्थान पर यानी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोनेडा, पंचायत समिति, कोटपूतली, जयपुर में आदेश दिनांक 27.06.1997 (अनुलग्नक–2) द्वारा पुनः नियुक्त कर दिया। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के बाद अपीलार्थी की सेवाओं की पुष्टि की गई और उसे आदेश दिनांक 31.07.1999 (अनुलग्नक–3) द्वारा 4000–100–6000 के वेतनमान के तहत तय किया गया। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति 01.07.1997 दिखाई गई थी और उसे परिवीक्षा की उपरोक्त अवधि के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि के लिए वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया था। अपीलार्थी ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि में सुधार के लिए और इसे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि यानी 04.04.1997 से मानने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 से कई बार संपर्क किया, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसकी

सभी वेतन वृद्धियां प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई से प्रदान की गई। आदेश दिनांक 16.08.2011 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, तो अपीलार्थी की पहली नियुक्ति तिथि 04.04.1997 बताई गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 23.08.2018 (अनुलग्नक–5) द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया, जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि फिर से 01.07.1997 बताई गई। कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण में भी अपीलार्थी की कार्यभार ग्रहण तिथि 04.04.1997 दर्शायी गयी थी, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग के अनुचित कृत्य के कारण नियमित सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01.07.1997 दर्शायी गयी है (अनुलग्नक–6)। समान उम्मीदवारों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 11147/2020 दायर की, जिसमें आदेश दिनांक 12.11.2020 द्वारा रिट याचिका को अनुमति देते हुए प्रत्यर्थी विभाग को उपरोक्त उम्मीदवारों के शामिल होने की प्रारंभिक तिथि को उनकी वास्तविक तिथि मानने का निर्देश दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं करने का फैसला किया और उल्लिखित सभी देय लाभ प्रदान किए और उन सभी उम्मीदवारों के शामिल होने की प्रारंभिक तिथि को उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि माना जाता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की नियुक्ति की तारीख 04.04.1997 से विचार करके सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह

स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)